पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, **2015** के विनियमन **43**ए के अनुसार, जिसमें बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के **31** मार्च को गणना अनुसार) के आधार पर पांच सौ शीर्ष सूचीबद्ध संस्थाओं का एक लाभांश वितरण तैयार करना अपेक्षित होता है, जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों में प्रकट किया जाएगा।

चूंकि पीएफसी **31** मार्च, **2016** को मानदंड के अनुसार शीर्ष **500** सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, अतः लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

II नीतिगत ढांचा

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और साथ ही निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का पूंजीगत पुनर्गठन पर जारी दिशा-निर्देशों और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नीति को व्यापक रूप से तैयार किया गया है।

III विचारार्थ कारक

पीएफसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है और सभी हितधारकों को टिकाऊ मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया है। लाभांश की सिफारिश करने के लिए यह बोर्ड के विवेक पर आधारित होता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश पे-आउट के बारे में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों में अपने लाभ और विकास योजनाओं के लिए आंतरिक संसाधनों की तैनाती की अपेक्षाओं के साथ वितरित किए जाने वाले लाभ की मात्रा को संतुलित करता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले विचार किए जाने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

क) परिस्थितियां जिसके तहत कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद हो सकती है या नहीं हो सकती है

लाभांश के लिए कोई शिफ़ारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले कारक इसमें शामिल हैं, अपितु वे केवल भविष्य पूंजीगत व्यय योजनाओं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लाभांश पर कर सहित समय-समय पर यथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू कर तक सीमित नहीं हैं।

ख) वित्तीय पैरामीटर जो कि लाभांश घोषित करते समय विचारार्थ होंगे

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी दिनांक **27.05.2016** को डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजीगत पुनर्गठन पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार

लाभांश घोषित करने के लिए प्रयासरत रहती है, जिसमें प्रत्येक सीपीएसई को पैट का 30% या नेटवर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान करना अनिवार्य है, बशर्ते वे वर्तमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश हो।

बहरहाल, कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके अंतर्गत यह स्थापित किया गया है कि जब तक वे भुगतान के लिए प्रस्तावित न्यूनतम लाभांश निम्नलिखित वित्तीय मापदंडों पर विचार करने के पश्चात विद्युत मंत्रालय स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर न्यायसंगत न हो:

- **(i)** निवल मूल्य और ऋण क्षमता;
- **(ii)** दीर्घावधि ऋण;
- **(iii)** कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकता;
- **(iv)** कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगामी लाभ के लिए लाभ का प्रतिधारण; और
- **(v)** नकदी और बैंक बैलेंस

ग) आंतरिक और बाह्य कारक जो कि लाभांश घोषित करते समय विचारार्थ होंगे

ग.**1** आंतरिक कारक

ग.**1.1** जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए पूंजी

एक आईएफसी होने के नाते, पीएफसी को एक निश्चित स्तर पर सीआरएआर बनाए रखना अपेक्षित है। तदनुसार, लाभांश घोषित करते समय सीआरएआर के लिए अपेक्षित आंकड़ा भी ध्यान में रखा जाता है ताकि इससे निर्धारित आंकड़ों का उल्लंघन न हो सके।

ग.**1.2** कंपनी का नेटवर्थ

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को पैट का 30% या नेटवर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान करेंगी, बशर्ते वे वर्तमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश हो। सरकारी कंपनी होने के नाते, पीएफसी को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।
उपर्युक्त मापदंडों के अतिरिक्त, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजीगत अपेक्षाएं;
- कंपनी की सहायक कंपनियों/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश;
- बोर्ड द्वारा उचित करार दिया गया कोई अन्य कारक।

ग.2 बाह्य कारक

ग.**2.1** आर्थिक परिवेश
अनिश्चित या आर्थिक और व्यावसायिक मंदी की परिस्थितियों की स्थिति में, कंपनी भविष्य के संकटों से उबरने के लिए आरक्षित निधि सुरक्षित रखने हेतु लाभ के एक बड़े हिस्से को बनाए रखने का प्रयास करेगी।

ग.2.3 सांविधिक प्रावधान और दिशा-निर्देश

लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा अधिरोपित नियंत्रकों का कंपनी पालन करेगी। इसके अतिरिक्त, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार या किसी अन्य सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर लाभांश घोषणा के संबंध में यथा जारी लागू दिशा-निर्देशों पर भी कंपनी विचार करेगी।

घ. प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तपोषण देने का कार्य करती है। प्रतिधारित आय को कंपनी के संगम-ज्ञापन में यथा विवरणानुसार कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप अभिनियोजित किया जाएगा, इस प्रकार वह कंपनी के व्यवसाय की वृद्धि और प्रचालन की वृद्धि के लिए योगदान कर रही है।

ङ. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर

रिकॉर्ड तारीख तक कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने बराबर वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के केवल एक ही वर्ग को जारी किया है, अतः कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। शेयरों के किसी भी नए वर्ग की समस्या के समय नीति को उसकी प्रकृति और दिशा-निर्देशों के आधार पर उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

किसी भी सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि में बाद में हुए किसी परिवर्तन की स्थिति में, जो इस नीति के किसी भी प्रावधानों को असंगत बनाता है, तब सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि के प्रावधान उस नीति पर प्रभावी होंगे।

नीति में किसी भी मामूली संशोधन/ विचलन को अनुमोदित करने के लिए सीएमडी प्राधिकृत हैं और नीति के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

****